मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक छात्रवृत्ति AB(HB) भोपाल,दिनांक

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम–2009

वर्तमान में पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम –1999 प्रचलन में है चूंकि कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है, एवं कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु पृथक से कोई योजना विभाग में प्रचलन में नही है अतः उक्त कमी की पूर्ति करने एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वर्तमान में प्रचलित योजना राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम–1999 के स्थान पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के एक छात्र एवं एक छात्रा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से नवीन योजना "पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम–2009" प्रसारित किए जाते है।

1. **संक्षिप्त नाम**–ये नियम पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम–2009 कहलाएंगे। ये नियम तत्काल प्रभावशील माने जाएंगे।

2. उद्देश्य– ~~इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं~~ को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

3. पात्रता–

3.1 मेधावी पुरस्कार पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।

3.2 कक्षा 10वी एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हों।

3.3 योजना अंतर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।

3.4 विद्यार्थी को प्रथम प्रयास में ही कक्षा 10वीं/12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3.5 चूंकि इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग जाति के विद्यार्थियों को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है, अतः इस योजना में पात्रता हेतु आय का बंधन नहीं रहेगा।

4.1 पुरुस्कार राशि– पिछड़ा वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 10वीं बोर्ड एवं एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नांकित दरों पर पुरस्कार राशि प्राप्त होगी :–

कक्षा 10वीं बोर्ड – प्रति छात्र/छात्रा – रूपये 5000/–
कक्षा 12वीं बोर्ड – प्रति छात्र/छात्रा – रूपये 10,000/–

83 T421 / (7)

4.2 यदि कक्षा 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक छात्र–छात्रा हो तो समान अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को उपरोक्तानुसार निर्धारित दर पर मेधावी छात्रवृत्ति पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।

4.3 यह मेधावी पुरस्कार राशि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)/26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान की जाएगी।

4.4 पुरस्कार राशि के अतिरिक्त छात्र/छात्रा को मिलने वाली अन्य छात्रवृति/ शासकीय सुविधाओं के लाभ की भी नियमानुसार पात्रता होगी।

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी – मेधावी पुरस्कार राशि की स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर को होंगे।

6. विद्यार्थियों का प्रगति मूल्याकंन –

संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के मेधावी पुरस्कार प्राप्त करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के स्थानीय अभिभावक होंगे। वे उनकी प्रगति की देखभाल करेंगे तथा उनकी कठिनाईयों और समस्याओं को हल करने में उनको सहायता देने हेतु उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक छात्र/छात्रा का प्रगति विवरण एक प्रगति प्रपत्र में रखा जाएगा, जिसमें उनकी नियमितता, अनुशासन, परीक्षाफल इत्यादि के संबंध में प्रविष्टियॉ की जाएगी।

7. ~~वित्तीय व्यवस्था–योजना पर होने वाला व्यय मांगसंख्या 66 मुख्य शीर्ष 2225~~ अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जन जातियॉ तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण (03) पिछड़े वर्गो का कल्याण, (277) शिक्षा, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य) (2793) प्रावीण्य छात्रवृत्ति–41–छात्रवृत्तियॉ एवं वृत्तियॉ–002–छात्रवृत्ति–आयोजना।"

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक––––––––––––––––––दिनांक ––––––––द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रभांशु कमल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

medhavi-4-12-09

पृ०क्रमांक एफ 8-7/09 /54-1

दिनांक 01-2-10

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।
2. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण।
3. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
7. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग————(मध्यप्रदेश) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस.के. उपाध्याय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

medhavi-4-12-09